236

संख्याः 476 /XXVI/एक भागीरथी(2)/2014

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 20 अक्टूबर, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0–80, दिनांक 23 अप्रैल, 2014 एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र सं0–194, दिनांक 18 जुलाई, 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–06–भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरणानुसार कुल धनराशि ₹ 50.00 लाख (पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत धनराशि आप द्वारा योजना कियान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी उक्त धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय परिसर, देहरादून में खोले गये खाते में जमा करेगें और यथावश्यक सम्बन्धित अधिकारी अंकित व्यवस्थानुसार समय–समय पर इसका आहरण/व्यय करेगें।

2– प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं विकास कार्यों हेतु किया जायेगा जो कार्य कार्यपालिका समिति द्वारा स्वीकृत हों तथा उपरोक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

3– कार्यों की मासिक प्रगति प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यों का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

4– योजना पर होने वाले उक्त व्यय का सम्परीक्षण महालेखानियन्त्रक, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण नही किया जायेगा बल्कि वास्तविक आवश्यकता पर उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी आवश्यक हो यदि गत वर्षों की धनराशि व्यय हेतु बची हो तो सर्वप्रथम उसको व्यय किया जायेगा और तब तक इस आदेश में इंगित धनराशि आहरित नहीं की जायेगी।

7– कार्य समयबद्व रूप से पूर्ण किया जायेगा यदि विलम्ब के कारण कार्य की लागत में वृद्धि होती है तो उसका उत्तरदायित्व प्राधिकरण का होगा।

2. उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–06–भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–51P/XXVII(5)/14-15, दिनांक 22 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 470 (1)/XXVI/एक भागीरथी (2)/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वित्त विभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर मुख्य कार्यापालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
7. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

शासनादेश सं0–470/XXVI/एक भागी0(2)/2014, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 का संलग्नक।

अनुदान सं0–07 लेखाशीर्षक	(धनराशि हजार ₹ में) आयोजनागत
3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें 092–अन्य कार्यालय 06–भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना 20– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	5000

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।